CNRNo-UPBP010015312021

न्यायालय : जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर
पीठासीन अधिकारी : शेष मणि (उच्चतर न्यायिक सेवा)
व्यवहार पुनरीक्षण संख्या : 05 / 2021
(कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण सं0–05 / 2021)

1. शमशुद्दोहा पुत्र स्व0 श्री भग्गन
2. बरसाती पुत्र श्री मौला
निवासीगण नई बाजार तुलसीपुर परगना तहसील–तुलसीपुर जिला–बलरामपुर
.....पुनरीक्षणकर्तागण।

बनाम

1. रामू सिंह
2. श्यामू सिंह } पुत्रगण श्री रघुपति सिंह
3. उदयवीर सिंह
निवासीगण मौजा मधनगरी पर0तह0 तुलसीपुर जिला–बलरामपुर
.....विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–115 व्यवहार प्रकिया संहिता, विद्वान सिविल जज (जू0डि0) बलरामपुर द्वारा मूल वाद संख्या–239 / 1990 भग्गन आदि बनाम रामू सिंह आदि में पारित आदेश दिनांकित 16.07.2021 के विरूद्ध संस्थित किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता / वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 249क को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है।

2. प्रस्तुत पुनरीक्षण को प्रोद्भूत करने वाले तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रार्थनापत्र 249क अन्तर्गत आदेश–6 नियम–17 व्यवहार प्रकिया संहिता विद्वान सिविल जज (जू0डि0) बलरामपुर के समक्ष इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी गण द्वारा विवादित सम्पत्ति अ,ब,स,द जोकि गाटा सं0–689 / 1 का अंश है, के बाबत दावा दायर किया गया था। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया है। उक्त दावा स्थायी निषेधाज्ञा के बारे में है, इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा जो अवैध निर्माण दौरान मुकदमा कर लिया है उसे आज्ञापक आदेश द्वारा ध्वस्त कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा दावे का उद्देश्य विफल हो जायेगा। वादीगण के पूर्व अधिवक्ता द्वारा अवैध निर्माण को हटवाने हेतु वादपत्र में संशोधन कराने के लिये कभी राय नहीं दिया गया। उक्त प्रस्तावित संशोधन से दावा की प्रकृति पर किसी प्रकार को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तदनुसार वादपत्र में वॉछित संशोधन किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रतिवादीगण की तरफ से आपत्ति 252ग प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रार्थनापत्र असत्य व बनावटी तथ्यों पर आधारित है। वॉछित संशोधन से वाद की प्रकृति बदल लायेगी। प्रार्थनापत्र काफी विलम्ब से दिया गया है। वादीगण ने न्याय शुल्क बचाने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र दिया है। उक्त वाद सन् 1990 से चल रहा है, जिसमें वादीगण का साक्ष्य हो चुका है। इस स्तर पर संशोधन प्रार्थनापत्र देने का कोई औचित्य नहीं है। वादीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

Self attested
31/05/22

4. विद्वान अवर न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् आदेश दिनांकित 16.07.2021 के द्वारा संशोधन प्रार्थनापत्र 249क को निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह व्यवहार पुनरीक्षण संस्थित किया गया है।

5. पुनरीक्षणपत्र में पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से मुख्यरूप से यह कहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि स्थायी निषेधाज्ञा के वाद से सम्बन्धित सम्पत्ति पर यदि दावा दायर करने के पश्चात् अवैध निर्माण हो जाये तो इस निर्माण व मौजूदा स्थिति को परिणामिक संशोधन के माध्यम से लाना आवश्यक है अन्यथा दावे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वादीपक्ष न्याय से वंचित हो जायेगा। विद्वान अवर न्यायालय ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि यदि प्रकरण में बल है तो समय सीमा मायने नहीं रखती है। न्यायालय को यही देखना है कि क्या प्रस्तावित संशोधन पक्षकार के मध्य पैदा हुये मुख्य विवाद के बाबत निर्णय करने में सार्थक है अथवा नहीं ? सामान्यतः विलम्ब स्तर पर प्रार्थनापत्र स्वीकृत किया जा सकता है यदि पक्षों के मध्य विवाद में वास्तविक प्रश्न के निर्धारण के उद्देश्य के लिये आवश्यक है। विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत किसी भी कानूनी बिन्दु अथवा तथ्य पर गौर किये बिना सरसरी आदेश पारित करके संशोधन प्रार्थनापत्र को निरस्त किया है। पुनरीक्षणपत्र में उल्लिखित कथनों के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.07.2021 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

7. पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर दौरान मुकदमा प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण किया गया है, इसलिये वाद की बहुलता को समाप्त करने के उद्देश्य से निर्माण भंजन के उपचार हेतु वादपत्र में संशोधन चाहा गया है। विचारण न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र को निरस्त करके विधिक भूल कारित की है। अतएव आदेश दिनांकित 16.07.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

8. जबाव में विपक्षीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि संशोधन प्रार्थनापत्र में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब निर्माण किया गया। अस्पष्ट कथन के साथ प्रार्थनापत्र अत्यन्त विलम्ब से वाद की कार्यवाही को विलम्बित करने के लिये दिया गया है, जिसे खारिज करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कोई गलती नहीं की है।

9. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि मूल वाद संख्या–239/1990, वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में शाश्वत व्यादेश के उपचार हेतु संस्थित किया गया है। वादपत्र में वादीगण का यह कथन है कि आराजी नं0–689/1 रकबा 0.253 हे0 स्थित मौजा परगना–तुलसीपुर जिला–गोण्डा के वादीगण संक्रमणीय भूमिधर है।

self-attested
31/05/22

689/2 रकबा 0.147 हे0 गरीब साखी मुसाफिरखाना है। विवादित भूमि को वादपत्र के नक्शानजरी में अक्षर अ,ब,स,द से प्रदर्शित करते हुए यह कहा गया है कि उक्त भूमि का अ,ब,ख,च अंश सार्वजनिक गली व रास्ता है, अक्षर क,ख,स,ग से दिखाया गया भाग वादीगण के गाटा सं0–689/1 का अंश है तथा शेष अंश सड़क की पटरी खन्ती व परती है। विवादित भूमि के क,ख,स,ग अंश पर वादीगण ने बतौर संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील होना कहा है।

10. प्रतिवादीगण की तरफ से प्रतिवादपत्र में यह कहा गया है कि विवादित भूमि के उत्तर 4 फीट 8 इंच की गली है, इसके पश्चात् मुसाफिरखाना की इमारत है और मुसाफिरखाना के उत्तर वादीगण का मकान तथा कुंआ है और वहीं वादीगण निवास करते हैं। विवादित भूमि के दक्षिण 5 फीट चौड़ी गली है और गली के बाद चक्रवती का मकान है और इसी गली में चक्रवर्ती का सेफटिक टैंक बना हुआ है। विवादित स,द के पूरब जो गाटा सं0–689/1 का दक्षिणी अंश है वह कौशल किशोर की भूमि है जिसे कौशल किशोर ने वादीगण से जरिये बैनामा खरीदा है। विवादित भूमि के पूरब वादीगण का कभी कोई मकान नहीं रहा है और न है। प्रतिवादपत्र के अन्त में नक्शानजरी वर्णित करते हुए अक्षर अ,ब,स,द,य,र से प्रदर्शित भूमि को प्रतिवादीगण ने अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति बतायी है, और यह भी कहा है कि उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति पर उनके पिता का नाम नोटीफाइड एरिया के कागजात में दर्ज था, उनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी का नाम दर्ज हुआ और श्रीमती रमा देवी के स्वर्गवास के उपरान्त प्रतिवादी सं0–3 उदय बीर सिंह को तनहा सम्पत्ति प्राप्त हुआ है जिस पर वह काबिज दखील है।

11. प्रार्थनापत्र संशोधन में वादीगण की तरफ से यह उल्लिखित किया गया कि किसी भी स्तर पर वह संशोधन प्रार्थनापत्र दे सकता है। जहॉ तक विचारण का सम्बन्ध है, संशोधित प्रावधान 01 जुलाई, 2002 के बाद के प्रकरणों में लागू है। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि इस बिन्दु पर उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जा रही है।

12. न्यायालय का संशोधन मंजूर करने का विवेकाधीन अधिकार है। निम्न बिन्दुओं पर संशोधन से पूर्व विचार किया जाना आवश्यक है :–

(1). क्या ऐसा संशोधन न्याय के हित में है?

(2). क्या संशोधन पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के लिये आवश्यक है?

(3). क्या संशोधन वाद की बहुलता को रोकने के लिये आवश्यक है?

(4). क्या संशोधन दूसरे पक्षकार के लिये अन्याय पूर्ण नहीं है?

13. संशोधन प्रार्थनापत्र में यह कहा गया है कि विवादित भूमि अ,ब,स,द गाटा सं0–689/1 का अंश है, जिसके सम्बन्ध में वाद संस्थित किया गया था, उक्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर लिया गया। संशोधन प्रार्थनापत्र मे यह

Self-attested
31105122

कहीं नहीं उल्लिखित किया गया है कि वस्तुतः वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण किस तिथि या किस सन् में किया गया तथा याचित नये अनुतोष के सम्बन्ध में मात्र सामान्य कथन किये गये हैं, जबकि संशोधन प्रार्थनापत्र में वादीगण को स्पष्टया यह बताना चाहिए था कि दौरान मुकदमा निर्माण किस तिथि या किस सन् में किया गया, न ही विवादित भूमि के जिस भाग पर निर्माण करना कहा गया है उसके सम्बन्ध में कोई क्षेत्रफल दिया गया, न ही उसको वादपत्र के नक्शानजरी में स्पष्ट करने के लिये कोई संशोधन चाहा गया है।

उपरोक्त परिचर्चा से स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता/वादीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण है। अतएव विद्वान अवर न्यायालय ने आदेश दिनांकित 16.07.2021 के द्वारा प्रार्थनापत्र संशोधन 259क को निरस्त करने में कोई वैधानिक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है। इस तथ्य का उल्लेख यहाँ करना समीचीन होगा कि वादीगण स्पष्ट कथनों के साथ विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्र है।

<u>आदेश</u>

एतद् द्वारा प्रस्तुत व्यवहार पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली संबंधित न्यायालय को वापस भेजी जाये। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.08.2021 को उपस्थित हों।

पक्षकार अपना–अपना पुनरीक्षण व्यय स्वयं वहन करेंगें।

दिनांक 18.08.2021

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

आज यह निर्णय, मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 18.08.2021

(शेष मणि)
जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर।

self attested
31/05/22